न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री अनुराग भार्गव आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 26/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/कोटा
दायरा दिनांक 5.2.2020
किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड आदित्य नगर मोडक तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा जरिये फेक्ट्री मेनेजर एंव पावर ऑफ एटोर्नी होल्डर।

.... अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा।
2. देवा उर्फ देवलाल आत्मज किशनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम चौसला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

...रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक–अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन अंसारी राजकीय अभिभाषक– रेस्पो0 क्रम–1

:: निर्णय ::

दिनांक 10.11.2021

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजण्डी जिला कोटा द्वारा मिसल नम्बर 12/2015 प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम बमुकदमें मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड मोडक बनाम स्टेट ऑफ राजस्थन वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 6.12.2019 के विरूद्ध यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

1 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का पेश कर वर्णित किया गया कि कम्पनी के नाम पर ग्राम चौंसला मे रेल्वे साईडिंग के लिये पुराने खसरा नम्बर 107 की 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि एलोट की गयी थी परन्तु उक्त नम्बर की भूमि मे कुछ काश्तकारों ने 1 बीघा 18 बिस्वा पर कब्जा करने व भूमि उनकी गैरखातेदारी मे होने से अपीलांट की आराजी 1 बीघा भूमि का ही नामान्तरकरण अपने नाम करवाया। उक्त 1 बीघा आराजी मे से रेल्वे लाईन निकल रही है। गजट नोटिफिकेशन के तहत ख0 नं0 107 की 1 बीघा भूमि दी गई व नक्शे मे इसी कदर इन्द्राज था। मौजूदा सेटलमेंट मे ख0 नं0 107 के दो नम्बर दर्ज किये जाने से ख0 नं0 147 की 0.16 है0 व ख0 नं0 148 की 0.31 है0 के पूर्व रेल्वे लाईन निकली हुयी है। खसरा नम्बर 147 की 0.16 है0 के उत्तर तरफ तथा खसरा नं0 148 की दक्षिणी तरफ दर्ज कर दिया गया जिससे उक्त नम्बर 147 को रेल्वे लाईन से बिल्कुल अलग थलग कर दिया व बीच मे खसरा नम्बर 148 को दर्ज कर दिया तथा रेल्वे लाईन को खसरा नम्बर 147 से काफी दूर दिखाया गया है जिससे भविष्य मे काफी अडचने पैदा हो सकती है। नक्शें मे उक्त नम्बरों की सही स्थिति दर्ज किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट पोषणीय

नही होना मानकर खारिज करने मे त्रुटि की है। अपीलांट कम्पनी को आवंटित भूमि पर ही रेलवे लाईन रेल्वे विभाग द्वारा बनायी गयी है मौके की स्थिति एंव आंवटित भूमि के अनुसार ही भूप्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों को नक्शा बनाना चाहिये था इस प्रकार भूप्रबन्ध विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से मोके की स्थिति के विपरीत मनमाने तौर पर नक्शा बनाया गया है जो काबिल दुरूस्ती है। नक्शें मे दुरूस्ती करने का अधिकार एंव शक्तियां उप खण्ड अधिकारी को 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त हैं तथा धारा 111, 128 एलआरएक्ट मे विपक्षी की सहमति की कानूनन आवश्यकता नही है। कन्टेस्टेड प्रकरण की स्थिति मे भी नक्शें मे दुरूस्ती की जा सकती है। इस कानूनी बिन्दू पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म पारित कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त आशय का प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट के तहत गवर्न नही होने से दिनांक 6.12.2019 को खारिज कर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील धारा 75 एलआरएक्ट मे न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एंव न्याय संचिका मे प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट पोषणीय नही होना मानकर खारिज करने मे त्रुटि की है। अपीलांट कम्पनी को आवंटित भूमि पर ही रेलवे लाईन रेल्वे विभाग द्वारा बनायी गयी है मौके की स्थिति एंव आंवटित भूमि के अनुसार ही भूप्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों को नक्शा बनाना चाहिये था इस प्रकार भूप्रबन्ध विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से मोके की स्थिति के विपरीत मनमाने तौर पर नक्शा बनाया गया है जो काबिल दुरूस्ती है। नक्शें मे दुरूस्ती करने का अधिकार एंव शक्तियां उप खण्ड अधिकारी को 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त है तथा धारा 111, 128 एलआरएक्ट मे विपक्षी की सहमति की कानूनन आवश्यकता नही है। कन्टेस्टेड प्रकरण की स्थिति मे भी नक्शें मे दुरूस्ती की जा सकती है। इस कानूनी बिन्दू पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म पारित कर त्रुटि की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौके की स्थिति के अनुसार पूर्व नक्शे के अनुसार नक्शा दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करे। बसूरत दीगर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेशित किया जावे कि वह स्वयं मौका देख कर अपीलांट को मौके की स्थिति के अनुसार वांछित अनुतोष प्रदान कर नक्शा दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत गया। रेस्पो0 क्रम–2 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने पर तामील पूर्ण मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 क्रम–1 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट पोषणीय नही होना मानकर खारिज करने मे त्रुटि की है। अपीलांट कम्पनी को आवंटित भूमि पर ही रेलवे लाईन रेल्वे विभाग द्वारा बनायी गयी है मौके की स्थिति एंव आंवटित भूमि के अनुसार भूप्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शा नही बनाकर त्रुटि की है जो काबिल दुरूस्ती है। नक्शें मे दुरूस्ती करने का अधिकार एंव शक्तियां उप खण्ड अधिकारी को 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त है तथा धारा 111, 128 एलआरएक्ट मे विपक्षी की सहमति की कानूनन आवश्यकता नही है। कन्टेस्टेड प्रकरण की स्थिति मे भी नक्शें मे दुरूस्ती की जा सकती है। इस कानूनी बिन्दू पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर हुक्म जेरअपील पारित करने मे त्रुटि की है। अपने कथन के समर्थन मे डीएजजे

(रेवे.)2015 पेज 235 आरआरटी 2017 (2) पेज 1463 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने बहस मे जाहिर किया कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 136 एलआरएक्ट का प्रार्थना पत्र बावत नक्शें मे दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया गया है। भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 एलआरएक्ट मे नक्शें मे दुरूस्ती नही की जा सकती नक्शें मे दुरूस्ती का प्रावधान उक्त अधिनियम की धारा 111 व 128 के अन्तर्गत निहित है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट पोषणीय नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय से खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने पत्रवली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 क्रम–1 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया तथा प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों पर गौर किया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट पेश कर कम्पनी के नाम पर ग्राम चौंसला मे रेल्वे साईडिंग के लिये खसरा नम्बर 107 की 1 बीघा दर्ज भूमि का सेटलमेंट के दौरान ख0 नं0 107 के दो नम्बर दर्ज कर ख0 नं0 147 की 0.16 है0 व ख0 नं0 148 की 0.31 है0 के पूर्व मे निकली हुई रेल्वे लाईन को खसरा नम्बर 147 की 0.16 है0 के उत्तर तरफ तथा खसरा नं0 148 की दक्षिणी तरफ दर्ज कर दिये जाने से नक्शें मे सही स्थिति दर्ज किये जाने हेतु पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने प्रा0 पत्र धारा 136 एलआरएक्ट पोषणीय नही होना मानकर जेरअपील निर्णय 6.12.2019 से खारिज किया है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि नक्शें मे दुरूस्ती करने का अधिकार एंव शक्तियां उप खण्ड अधिकारी को 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त है तथा धारा 111, 128 एलआरएक्ट मे विपक्षी की सहमति की कानूनन आवश्यकता नही है। कन्टेस्टेड प्रकरण की स्थिति मे भी नक्शें मे दुरूस्ती की जा सकती है। इस कानूनी बिन्दू पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर हुक्म जेरअपील पारित करने मे त्रुटि की है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट के तहत नक्शे मे दुरूस्ती हेतु पेश किया गया है जबकि नक्शें मे दुरूस्ती धारा 111, 128 एलआरएक्ट के अन्तर्गत किये जाने की शक्तियां उपखण्ड अधिकारी को प्रदत्त है। ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्टया अपीलांट द्वारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे नक्शें मे दुरूस्ती किये जाने संबधी अनुतोष चाहा गया था ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्टया एडमिशन की स्टेज पर ही अधीनस्थ न्यायालय को उक्त तथ्य पर गोर कर विधिसम्मत आदेश पारित करना अपेक्षित था ताकि दिनांक 6.12.2019 तक प्रकरण अनावश्यक रूप से न्यायिक कार्यवाही मे जेरकार नही रहता। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 16.3.2015 के अनुसार, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 एलआरएक्ट मे प्रस्तुत उक्त प्रकरण को पंजीबद्ध/दर्ज किया गया तथा प्रकरण को निर्णय दिनांक 6.12.2019 से पोषणीय नही होने के आधार पर खारिज किया गया है। अतः स्पष्ट है कि 16.3.2015 से निर्णय दिनांक 6.12.2019 तक उक्त वर्णित विधिक शक्तियों के तहत प्रकरण प्रस्तुत नही किये जाने के कारण अनावश्यक रूप से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे लम्बित रहा है इसके लिये केवल मात्र अपीलार्थी की ही त्रुटि नही मानी जा सकती बल्कि प्रकरण मे समय पर निहित शक्तियों के तहत न्यायोचित/अपेक्षित कार्यवाही नही कर अधीनस्थ

न्यायालय भी त्रुटि कारित किया जाना प्रकट है। अतः सहज न्याय के दृष्टिगत, न्यायहित मे हम अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय दिनांक 6.12.2019 को न्यायोचित नही पाते है। पणिामस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 6.12.2019 आपस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय के प्रार्थना पत्र मे चाहा गया अनुतोष एलआरएक्ट की धारा 111 व 128 मे प्रद्रत्त शक्तियों के अन्तर्गत होने से अधीनस्थ न्यायालय सुओमोटो प्रार्थना पत्र का निस्तारण राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 128 के अन्तर्गत पक्षकारों को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रकरण मे पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

6 निर्णय आज दिनांक 10.11.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अनुराग भार्गव)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा